दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 28 सितंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 03

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर में रियासी बस हमले से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्यवाई, राजौरी समेत कई जिलों में छापेमारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के शिव खोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जून में हुए आतंकी हमले की जांच के मामले में शुक्रवार सुबह राजौरी और रियासी जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की। 9 जून को आतंकियों ने बस पर गोलीबारी की थी। इस आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्रियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 41 लोग घायल हो गए थे। शिव खोरी मंदिर से कटरा जा रही बस, रियासी के पौनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास गोलीबारी की बौछार के बाद बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई थी। 17 जून को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। इस मामले में अब तक राजौरी के हाकम खान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर पर हमले से पहले आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद मुहैया कराने के अलावा इलाके की टोह लेने में भी मदद की थी। जानकारी के मुताबिक एनआईए की कई टीमें आज सुबह से ही राजौरी और रियासी जिलों में तलाशी ले रही हैं। जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, वे हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स से जुड़े हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फडणवीस के ऑफिस में घुसी महिला, नेमप्लेट उखाड़ कर जमकर किया हंगामा

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के बाहर एक अज्ञात महिला ने हंगामा किया और जमकर तोडफ़ोड़ की। वहीं महिला इतने गुस्से में थी कि उसने फडणवीस के नेमप्लेट को उतारकर फेंक दिया। जानकारी के अनुसार हंगामा करने वाली महिला बिना पास के ही मंत्रालय में दाखिल हो गई थी। हालांकि हंगामा करने वाली महिला वहां पर तोडफ़ोड़ करने के बाद आराम से निकल गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऑफिस मंत्रालय में छठी मंजिल पर है। महिला ने डिप्टी सीएम के ऑफिस में घुसकर जमकर हंगामा किया। नेमप्लेट उखाड़ने के बाद वह वहीं ऑफिस में घुस गई और चिल्लाने लगी। वहां जो गमले रखे हुए थे उसमें से कुछ गमलों को भी तोड़ दिया। वहीं अब इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चा भी शुरू हो गई है कि जब मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री का ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाजियाबाद : मेडिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने में लगी 10 दमकल गाड़ियां

गाजियाबाद (आरएनएस)। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र स्थित मेडिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री मुख्य रूप से क्रेप बैंडेज बनाने का काम करती है। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 10 गाडिय़ां मौके पर पहुंच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसा पहले भी घटित हो चुका हैं।

रेल्वे का बड़ा ऐलान : दीपावली-छठ के लिए चलेंगी 10 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन

❐एक करोड़ यात्रियों को मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली | आरएनएस

दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 10 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा, सौ से ज्यादा ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से करीब एक करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।

वैष्णव ने शुक्रवार को जानकारी दी कि रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां की हैं। रेलवे करीब 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को सफर करने का अवसर मिल सके।

उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान 12,500 विशेष ट्रेनों का संचालन करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 2024-2025 में 5,975 ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। रेलवे के अनुसार, इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को दीपावली और छठ पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। आपको बताते चलें, साल 2023 और 2024 में पूजा विशेष ट्रेनों की संख्या 4,429 थी।

इससे पहले 25 सितंबर को आनंद विहार से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही। स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन एसी स्पेशल होगी, जो आनंद विहार से लखनऊ होते हुए बरौनी पहुंचेंगी। ट्रेन सुबह 9 बजे आनंद विहार से चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। एसी स्पेशल ट्रेन अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा और हाजीपुर में रुकेंगी। इस ट्रेन में 16 थर्ड एसी, 2 पावर कार समेत 18 कोच होंगे।

बता दें कि हर साल दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। यूपी-बिहार के लोगों के लिए यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होता है। इस दौरान स्थिति ऐसी हो जाती है कि दो-तीन महीने पहले से ही अधिकांश ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ होने के कारण यात्रा करना अक्सर मुश्किल हो जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव, कई बोगियों के शीशे टूटे; यात्रियों को आईं गंभीर चोटें

पटना | आरएनएस

बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर बीती देर रात ट्रेन पर पथराव किया गया जिससे बोगियों के शीशे टूट गए। पथराव में कई यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों का समस्तीपुर में ही इलाज कराया गया। घटना के बाद ट्रेन 45 मिनट देरी से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंची।

दरअसल, मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर बीती रात जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। घायल यात्रियों का समस्तीपुर में ही उपचार कराया गया। समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर अचानक पथराव से यात्री दहशत में आ गए। ट्रेन पर पथराव का मामला रात करीब 9:45 बजे का बताया जा रहा है। पथराव के बाद समस्तीपुर में कुछ देर तक ट्रेन रुकी रही, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस पथराव के कारण ट्रेन की कई बोगियों के शीशे टूट गए। इसमें पेंट्रीकार समेत उसके बगल की क्च1 और क्च2 कोच के शीशे टूटे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल आरपीएफ समस्तीपुर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

आरजी कर मामला : सीबीआई को जांच रिपोर्ट में मिलीं बड़ी खामियां

कोलकाता | आरएनएस

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में जांच रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाई हैं।

सूत्रों ने बताया कि पहली चूक तब पकड़ी गई जब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें पीड़िता के शव की जांच के लिए केवल 20 मिनट का समय मिला। यह समय मामले की गंभीरता को देखते हुए असामान्य रूप से कम है।

कानूनी शब्दों में, जांच रिपोर्ट एक दस्तावेज है जो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तब बनाया जाता है जब कोई व्यक्ति अचानक, अनजाने में या हिंसक तरीके से मरता है। इसमें मृतक की पहचान, उसकी मौत का कारण तथा यह पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है कि क्या मौत अप्राकृतिक या संदिग्ध थी।

सूत्रों ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता के शव की जांच के लिए बहुत कम समय दिया गया था। जांच अधिकारियों का मानना है कि जांच रिपोर्ट तैयार करने में भी जल्दबाजी की गई। इसके अलावा, पोस्टमार्टम प्रक्रिया को केवल 70 मिनट में पूरा कर लिया गया, जिससे जांच में अनियमितताओं की आशंका है।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने दूसरी बड़ी लापरवाही यह पाई कि जांच रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर लगे घावों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई।

साथ ही, जांच अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शहर पुलिस की जब्ती सूची में बड़े विरोधाभासों की पहचान की है। यह तब सामने आए जब केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच का जिम्मा संभाला। इससे पता चलता है कि शुरुआती जांच में अनियमितताएं हुई हैं।

भावनगर : तमिलनाडु के 29 यात्रियों को ले जा रहा वाहन बाढ़ में फंसा, एनडीआरएफ ने बचाया

भावनगर | आरएनएस

गुजरात के भावनगर जिले में गुरुवार को तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पुल पर फंस गई। एक नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी पुल पर आ गया था हालात बेकाबू हो गए थे। जिसके बाद बचाव अभियान ने मशक्कत के बाद सबको बचाया।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार वाहन में तमिलनाडु के 29 यात्री तीर्थ यात्रा पर थे, जिनका वाहन अचानक बाढ़ में फंस गए। सभी लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एनडीआरएफ टीम के तैराकों की एक विशेष टीम भी राहत कार्य में शामिल की गई। 8 तैराकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एनडीआरएफ की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद सभी 37 लोग, जिनमें 29 तीर्थयात्री और 8 तैराक शामिल थे, सुरक्षित बाहर निकाले गए।

भावनगर आपदा प्रबंधन प्रभाग के उप मामलतदार सतीश जंबुचा ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों को लेकर बस भावनगर तालुका के कोलियाक गांव के पास के एक पुल को पार करने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्री निष्कलंक महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद भावनगर की ओर जा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश के बाद पुल पर पानी भर गया था। बाढग्रस्त पुल पर बस के फंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना के बाद बचावकर्मी एक ट्रक में सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे और बस की खिडक़ी के माध्यम से तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया।

हाथरस में स्कूल की तरक्की के लिए दी गई 11 साल के बच्चे की बलि

5 आरोपी गिरफ्तार

हाथरस | आरएनएस

यूपी के हाथरस जिले के सहपऊ क्षेत्र में बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने घिनौनी घटना का खुलासा किया है। जानकरी के अनुसार, स्कूल की तरक्की के लिए तांत्रिक क्रिया के तहत कृतार्थ की बलि दी गई।

सहपऊ पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना रासगवां गांव स्थित एक आवासीय स्कूल डीएल पब्लिक स्कूल से संबंधित है। दूसरी कक्षा के छात्र कृतार्थ कुशवाहा (11 साल) की हत्या गला दबाकर की गई थी। छात्र का शव स्कूल प्रबंधक की कार से बरामद किया गया था। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मृतक के पिता कृष्ण कुमार की ओर से 23 सितंबर को सहपऊ थाना में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए थाना सहपऊ पुलिस को निर्देश दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राम प्रकाश सोलंकी, दिनेश बघेल, जशोधन सिह उर्फ भगत, लक्ष्मण सिंह, और वीरपाल सिंह उर्फ वीरू शामिल हैं। सभी आरोपी अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार, इस घटना की जड़ स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता जशोधन सिंह से है, जो तंत्र-मंत्र करता था। स्कूल प्रबंधक और उसके पिता ने बच्चे की हत्या इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे की बलि देने के बाद उनका स्कूल और काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। उन्होंने स्कूल की तरक्की के लिए तांत्रिक क्रिया के तहत कृतार्थ की बलि दी।

सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि यह एक भयानक और निंदनीय कृत्य है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस पूरे मामले में अब आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है, आगे की जांच जारी है।

मृतक छात्र के परिजनों ने बीते दिनों एसपी कार्यालय का भी घेराव किया था। हाथरस एसपी से छात्र के परिजनों ने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की मांग की थी। इस दौरान बड़ी संख्या महिलाएं भी मौजूद थीं।

आतंकी हवारा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, तिहाड़ से पंजाब की जेल में शिफ्ट करने की मांग

नई दिल्ली | आरएनएस

आतंकवादी जगतार सिंह हवारा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हवारा ने याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब शिफ्ट किया जाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हवारा की याचिका पर दिल्ली, पंजाब और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हवारा को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली हुई है और वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में कहा गया है कि वह तिहाड़ जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी है और उसके खिलाफ दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं है।

याचिकाकर्ता वर्तमान में पंजाब राज्य में दर्ज एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह पंजाब राज्य, फतेहगढ़ साहिब जिले का निवासी है और उसे पंजाब की जेल में रखा जाना चाहिए। हवारा बब्बर खालसा संगठन से जुड़ा है, उस पर खालिस्तान से जुड़े संगठनों को समर्थन देने का भी आरोप था। देशद्रोह के इस मामले में पिछले साल उसे बरी कर दिया गया था। इससे पहले वह 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग बनाकर अपने 2 साथियों के साथ भाग गया था, उसे दिल्ली से साल 2005 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था, तब से वह तिहाड़ जेल में है।

आधार कार्ड और पेन कार्ड का डेटा दिखाने वाली वेबसाईट पर एक्शन, केंद्र सरकार ने की ब्लॉक

नई दिल्ली | आरएनएस

केंद्र सरकार की ओर से व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पेन का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। आईटी मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गई कि कुछ पोर्टल्स द्वारा नागरिकों की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) की ओर से इन वेबसाइट का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इन वेबसाइट की सुरक्षा में कुछ कमियां पाई गई। इन वेबसाइट्स के मालिकों को आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार और कमजोरियों को ठीक करने के लिए उनके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में गाइडेंस भी प्रदान किया गया था।

इंडियन साइबर एजेंसियों की ओर से आईटी एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सभी संस्थाओं के लिए गाइडेंस जारी की गई हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 (आईटी एक्ट) के तहत सीईआरटी-आईएन द्वारा सूचना सुरक्षा प्रथाएं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं को रिपोर्ट करने के दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

आईटी एक्ट में संवेदनशील निजी जानकारी के गैर-प्रकाशन और गैर-प्रकटीकरण का प्रावधान है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आईटी एक्ट की धारा 46 के तहत निर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है और मुआवजे की मांग कर सकता है।

दिल्ली की हवा में जहर

सुप्रीमकोर्ट ने कहा इमरजेंसी जैसे हो गए हालात, पराली जलाने वालों पर क्यों नहीं हो रही कार्यवाई

नई दिल्ली | आरएनएस

पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। कोर्ट ने सीएक्यूएम से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है? आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार बैठकें क्यों नहीं हो रहीं?

एससी ने कहा कि क्या सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता। सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। यदि आप यह संदेश नहीं देते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये प्रावधान केवल कागज पर ही रह जाएंगे। आप ये बताइए कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है या नहीं।

पिछली सुनवाई के दौरान 27 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कर्मचारियों की कमी के कारण दिल्ली और एनसीआर के राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 'अप्रभावी' करार दिया था और राष्ट्रीय राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय से यह बताने के लिए कहा था कि वह प्रदूषण एवं पराली जलाये जाने की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहा है। इसने पांच एनसीआर राज्यों को संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को 30 अप्रैल, 2025 से पहले भरने का निर्देश दिया था।

इस मामले को लेकर सीएक्यूएम ने जवाब देते हुए कहा कि 10 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई है। सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने समिति बनाने के बाद 82 कानूनी आदेश और 15 सुझाव जारी किए हैं। उनकी टीम ने 19,000 जगहों का निरीक्षण किया है और 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ष्ट्रक्रू तीन साल से अस्तित्व में है, लेकिन इसने केवल 82 निर्देश जारी किए हैं। इतनी कार्रवाई काफी नहीं है। आयोग को और अधिक एक्टिव होने की जरूरत है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देशों से प्रदूषण की समस्या कम हो रही है या नहीं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 2021 में ष्ट्रक्रू का गठन किया था। इसे दिल्ली-हृष्टक्र और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है।